>

Title: Introduction of the High Court at Allahabad (Establishment of a Permanent Bench at Gorakhpur) Bill, 2010.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गोरखपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Allahabad at Gorakhpur."

आप बैठ जाइये। मैंने बोल दिया है कि माननीय रेवती रमण सिंह जी बोलेंगे। जो प्रोसीजर फोलो हो रहा है उसके बाद ही कुछ होगा। Before I put the Motion for introduction to the vote of the House, I have to inform the hon. Members that Kunwar Rewati Raman Singh and Sarvarshri Shailendra Kumar and Vijay Bahadur Singh have given notices of their intention to oppose the introduction of the Bill. Hon. Member, please look at me....(व्यवधान) आप सब को मैं बुलाऊंगा, आप बैठ जाइये। Whatever procedure is being followed, let it be followed. Let him first move for leave to introduce the Bill. Then, you can speak.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदित्य योगी नाथ जी ने एक बिल मूव किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बैंच की स्थापना गोरखपुर में कर दी जाए। माननीय इसी सदन में, एक बार किसी और मैम्बर ने यहां प्राइवेट मैम्बर बिल लाने का काम किया था और हम लोगों ने उसका विरोध किया था। उसके बाद आज तक वह बिल नहीं आ पाया। एक परम्परा पड़ गयी है कि माननीय योगी आदित्य नाथ जी बहुत संवेदनशील मामला उठाते हैं लेकिन आज पहली बार देखा कि गोरखपुर के लिए इन्हें इतना मोह हो गया है कि देश को, आसमान को, जमीन को, पानी को बेच देंगे, हर चीज का बंटवारा हो जाए, आदमियों को भी बांट दिए हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाई-कोर्ट का बंटवारा करना चाहते हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): इन्हें डायरेक्ट नाम कोट नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें।

श्री रेवती रमण सिंह : इनके नाम से बिल है, इसलिए कोट करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : अभी इंट्रोडक्शन होगा या नहीं, इस बारे में बोल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): इस पर हम लोगों को भी सुन लीजिए।

सभापति महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है वही बोलेंगे। आप बैठ जाइये। जगदम्बिका पाल जी, सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होता है, आप बैठ जाइये। आप बहुत सीनिय मैम्बर हैं, आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल : अगर कोई सदस्य आपसे अनुरोध करता है तो आपको मौका देना चाहिए। आप पीठ की परम्परा देख लें कि अगर कोई मैम्बर अपने को एसोसिएट करना चाहता है तो उसे भी मौका देना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you are a very senior Member. There is no scope for discussion now. You have not given your notice before 10 a.m.

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी, आप बोलिए। इनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रोसीज़र फालो करना चाहिए। आपको प्रोसीजर के मुताबिक 10 बजे तक अपना नाम भेजना चाहिए था।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। रेवती रमन जी आप बोलिए। इनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी अनुमति का स्कोप नहीं है। आप वरिष्ठ सांसद हैं, आप कृपया बैठ जाएं। आपने पहले नोटिस नहीं दिया, इसलिए आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

â€¦(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को बांटने का कोई औचित्य नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस में आर्डर रहना चाहिए। आप वरिष्ठ सांसद हैं, आप बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले ही बंटवारा हो चुका है। पहले लखनऊ बैंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में बन चुकी है। उत्तराखंड में भी एक हाई कोर्ट बन गया है। मान्यवर, एक लॉ कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट है कि अब बैंच नहीं बनना चाहिए, जब तक कि मुख्य न्यायाधीश इस पर राजी न हो। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी राय नहीं दी है।

सभापति महोदय : क्या यह अभी सब-ज्यूडिस है?

श्री रेवती रमन सिंह : जी हां।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फिर बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी, आज जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए। इंट्रोडक्शन स्टेज पर सिर्फ लेजिस्लेटिव कंपिटेंस इस हाउस की है या नहीं, आपको यह बोलना है।

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं यही बात कह रहा हूं कि मोइली जी ने 12 मई को सदन में कहा था कि इसके लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, तब तक इस विषय पर बहस नहीं होगी। आप मोइली जी, लॉ मिनिस्टर का बयान निकलवा कर देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बंटवारा होगा, तो फिर यह बहस होगी कि आगरा में हो या मेरठ में हो, ऐसे ही पूरे प्रदेश का बंटवारा ये लोग कर देंगे। आदित्य नाथ जी की पार्टी, भाजपा *...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं, यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिए। किसी अन्य सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन जी आप बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have already said that there is no scope for discussion.

...(*Interruptions*)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य में माननीय सदस्य योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गोरखपुर में बैंच स्थापित करने के लिए बोलने दिया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आपको नोटिस दिया है, मैं इसका प्रबल विरोध करता हूं और रेवती रमन सिंह, जो हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, उन्होंने जो बात कही है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

यह बात सत्य है कि इसके पहले हाइकोर्ट की एक बैंच लखनऊ में स्थापित है। इसके बाद यू.पी का जो बंटवारा हुआ है, उत्तराखंड नया बना है, एक हाइकोर्ट वहां चला गया। उससे भी अगर देखा जाए और बाकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाइकोर्ट के जो सम्मानित मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, अगर कमेटी की संस्तुति है तो बने, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। इसके पहले भी यह बिल आ चुका है, इसका विरोध हुआ है। माननीय कानून मंत्री मोइली साहब ने इसमें अपने निर्देश दिये हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको इंट्रोडयूस न किया जाए। इस बिल का मैं विरोध करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.पू.): सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें मैं योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब यह

इश्यू उठा, इसको सबसे पहले लॉ कमीशन ने डिसकस किया। लॉ कमीशन ने कहा कि जब हाईकोर्ट एक जगह होता है, उसकी गरिमा, उसकी पॉवर और उसका अधिकार बहुत गंभीर होता है और जनता को उस पर विश्वास होता है नहीं तो कल यह डिमांड आएगी कि हर डिस्ट्रिक्ट जज को हाईकोर्ट की पॉवर दे दो, हाईकोर्ट खत्म कर दो। उसके बाद इसमें पांच जज की एक फुल बैंच का निर्णय आया। उस जजमेंट में यह कहा गया कि हाइकोर्ट का डिवीजन नहीं होना चाहिए। लखनऊ में हाईकोर्ट बना। वह हिस्टॉरीकल रीजन से जब आजादी के पहले अवध अदालत थी, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशनल बैंच ने इस पर जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन में सबसे पहले जो वहां के चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी राय मांगी जाए। That is condition precedent for this exercise. जब से मैं संसद में आया हूं। यह बिल पहले भी आ चुका है और केंसिल हो चुका है। यह कोई मदर डेयरी का बूथ नहीं है कि रूम हमारे सामने लगा दो, यह बस स्टैंड नहीं है।

अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि आखिर क्या इस समय डिस्टेंस फैक्टर होगा? यह किसलिए है?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मैरिट में मत जाइए। आप बोल चुके हैं। यह मामला कंपीटेंट नहीं है Because this is sub-judice. योगी आदित्यनाथ साहब आप संक्षेप में बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं केवल रूल्स ऑफ प्रोसीडियर एंड कंडक्ट ऑफ लोक सभा के नियम 72 (1) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूं।

> "72. (1) If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the Member who opposes the motion and the Member who moved the motion, may, without further debate, put the question:â€¦ "

अर्थात् इस पर डिबेट नहीं होगी, इसके मैरिट पर कोई डिसकशन नहीं होगा। अगर कोई बिल इंट्रोडयूस हो रहा है तो उस बिल को क्यों न इंट्रोडयूस किया जाए, उसके क्या कारण है। अभी ये मैरिट को जो डिसकसन कर रहे हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जनहित में है, स्वाभाविक है कि जहां एक तरफ जस्टिस फॉर ऑल यानी सबको सस्ता और सुलभ न्याय हो तो इसलिए इस बिल को इंट्रोडयूस किया जाए। धन्यवाद।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): पहली बार इन्होंने अच्छी बात कही है।

16.00 hrs.

सभापति महोदय : आप ज्यादा लंबा मत बोलना। इंट्रोडक्शन बाद में होगा।

योगी आदित्यनाथ : मैं यहां ज्यादा के लिए तो आया ही नहीं था मैं इंट्रोडयूज करने के लिए आया था। वे आपत्ति करते हैं तो मैं क्या करूं? मुझे सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य श्री रेवती रमण सिंह जी की इस बात पर आपत्ति है कि इतने सीनियर हैं कि इतनी हल्की बातें करेंगे और मैं इसकी उम्मीद नहीं करता था। खास तौर से उन जैसा व्यक्ति मेरा नाम भी सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है। ...(व्यवधान) *

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वे कितने सीनियर हैं, आप इसे याद रखिए।

योगी आदित्यनाथ : अगर सीनियरटी संसद की देखनी है तो मैं उनसे सीनियर हूं।...(व्यवधान)

बहस नहीं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बहस मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सोचने वाली बात को कार्यवाही से निकाला जाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी।

...(व्यवधान) *

योगी आदित्यनाथ : देश को सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों ने बेवकूफ बनाकर जातीय विखंडन में बांटा है, वे लोग देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

भापति महोदय : मेरिट के बारे में बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : मैं मेरिट पर आ रहा हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आपने भाषण दिया है और अब आप भाषण सुनिए। सभापति महोदय, अब ये तय करेंगे या आप तय करेंगे? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम तय करेंगे। आप संक्षेप में बोलिए। योगी जी, उनको ऑब्जेक्शन है, आप रिप्लाई देंगे या नहीं?

â€¦(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : महोदय, न्याय सरल और सुलभ हो, यह देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लॉ कमीशन ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: कौन से लॉ कमीशन ने किया है? ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : संसद की रिपोर्ट लाइब्रेरी में रखी है, वह पढ़ना फिर आना। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): लॉ कमीशन की 312 नं रिपोर्ट है। ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : आप पढ़ना फिर बात करना। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Yogi *ji*, please address the Chair.

योगी आदित्यनाथ : मुझे बोलने दिया जाए। मेरी बात सुनी जाए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिए और खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : आप मुझे बोलने तो दीजिए। वे बीच में टोक रहे हैं और आप रोक नहीं रहे है। हाउस को आर्डर में लेकर आइए, मैं अपनी बात बोलूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस आर्डर में है, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not look at them; please address the Chair.

योगी आदित्यनाथ : पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर हाई कोर्ट की स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने की बात की जा रही है उनमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ हैं। इस तरह से 15-16 जिले हैं जिनकी आबादी तीन से पांच करोड़ है। इन्हें न्याय के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, आने जाने के लिए दूरी 600 किलोमीटर है।

MR. CHAIRMAN: There is no scope for a debate.

...(*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ : जो उन्होंने कहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या ये लोग तय करेंगे?

सभापति महोदय : बहुत सीनियर आदमी हैं, आप बैठिए। Let him complete.

योगी आदित्यनाथ : न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए आम व्यक्ति को न्याय सरलता और समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए न्यायपीठों की स्थापना होना आवश्यक है। मुझे लगता है कि संसद सर्वोच्च है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। विधायी शक्ति संसद में निहित है और संसद को तत्संबंधी विधेयक बनाने का अधिकार है। संसद को इसके लिए किसी के डायरेक्शन की आवश्यता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

सभापति महोदय : इसलिए आप यह चाहते हैं?

योगी आदित्यनाथ : इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता को न्याय सरल और सुलभता के साथ उपलब्ध हो सके और लम्बित मामलों का निस्तारण हो सके। इसके लिए यहां यह निजी विधेयक लाया गया है।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Allahabad at Gorakhpur."

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Item 14, Kumari Saroj Pandey – not present.

Item 15, Kumari Saroj Pandey – not present.

Item 16, Shrimati Supriya Sule – not present.

...(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, इस पर डिवीजन कराइये। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has already introduced the Bill. It is over. आपको उसी वक्त डिवीजन मांगना चाहिए था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम इससे सहमत नहीं हैं, इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं।

16.06 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members left the House.